न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व निगरानी संख्या: 05/2021

प्रार्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. केउ पुत्री वना, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा, तह. व जिला–सिरोही
2. दरजाराम पुत्र वना, जाति–कलबी, निवासी–सियाकरा, तह. व जिला–सिरोही
3. कलाराम पुत्र तोला, जाति– कलबी, निवासी–सियाकरा, तह. व जिला–सिरोही
4. केवदाराम पुत्र तोला, जाति– कलबी, निवासी–सियाकरा, तह. व जिला–सिरोही
5. कोनाराम पुत्र तोला, जाति– कलबी, निवासी–सियाकरा, तह. व जिला–सिरोही
6. नारायण पुत्र तोला, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा, तह. व जिला– सिरोही
7. लगवादेवी पुत्री तोला, जाति–कलबी, निवासी– सियाकरा, तह. व जिला–सिरोही
8. वेलाराम पुत्र तोला, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा, तह. व जिला–सिरोही
9. हरनाथराम पुत्र तोला, जाति–कलबी, निवासी–सियाकरा, तह. व जिला–सिरोही
10. होजीदेवी पुत्री तोलाजी, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा, के कायम मुकामः–

10/1. नरसाराम पुत्र उनाराम, जाति– कलबी, निवासी–मेरमाण्डवाडा, तह. सिरोही
10/2. केराराम पुत्र उनाराम, जाति– कलबी, निवासी–मेरमाण्डवाडा, तह. सिरोही
10/3. पनाराम पुत्र उनाराम, जाति– कलबी, निवासी–मेरमाण्डवाडा, तह. सिरोही
10/4. मोनाराम पुत्र उनाराम, जाति– कलबी, निवासी–मेरमाण्डवाडा, तह. सिरोही
10/5. सुजाराम पुत्र उनाराम, जाति– कलबी, निवासी–मेरमाण्डवाडा, तह. सिरोही
10/6. लक्ष्मी पुत्री उनाराम, जाति– कलबी, निवासी–मेरमाण्डवाडा, तह. सिरोही

11. जोजु पुत्री प्रागा, जाति– कलबी, निवासी–सियाकरा, तहसील व जिला–सिरोही
12. भगवान पुत्र प्रागा, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा के विधिक वारिसानः–

12/1. गवरी देवी पत्नि भगवान, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा, तह. सिरोही
12/2. धोकी देवी पुत्री भगवान, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा, तह. सिरोही
12/3. गोवाराम पुत्र भगवान, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा, तह. सिरोही

13. भावा पुत्र प्रागा, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा, तह. व जिला– सिरोही
14. भीखा पुत्र प्रागा, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा, तह. व जिला– सिरोही
15. लाली पुत्री प्रागा, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा, तह. व जिला– सिरोही

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970"

उपस्थितिः

1. पेरोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री ऋषि माथुर, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से
3. अधिवक्ता श्री उमाराम देवासी, अप्रार्थी संख्या 3 से 9 की ओर से
4. अधिवक्ता श्री धीमान् खत्री, अप्रार्थी संख्या 11 से 15 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 27 सितम्बर, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि ग्राम पादरुखेडा के पुराना खसरा संख्या 109/38 रकबा 6.45 बीघा भूमि का आवंटन गैर खातेदारी की तौर पर वना पुत्र रोमा, जाति– कलबी, निवासी सियाकरा, पुराना खसरा संख्या

.....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:05:34 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

राजस्व निगरानी संख्याः 05/2021

107/38 रकबा 5.00 बीघा भूमि का आवंटन गैर खातेदारी के तौर पर तोला पुत्र रोमा, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा एवं पुराना खसरा संख्या 108/38 रकबा 6.00 बीघा भूमि का आवंटन गैर खातेदारी के तौर पर प्रागा पुत्र रोमा, जाति–कलबी, निवासी– सियाकरा, तहसील व जिला– सिरोही को आवंटन हुये थे। उक्त आवंटिती वना पुत्र रोमा, तोला पुत्र रोमा व प्रागा पुत्र रोमा की मृत्यु होने से इनके उत्तराधिकारी केउ पुत्री वना, दरजाराम पुत्र वना, कलाराम पुत्र तोला, केवदाराम पुत्र तोला, कोनाराम पुत्र तोला, नारायण पुत्र तोला, लगवादेवी पुत्री तोला, वेलाराम पुत्र तोला, हरनाथराम पुत्र तोला, होजीदेवी पुत्री तोला, जोजू पुत्री प्रागा, भगवान पुत्र प्रागा, भावा पुत्र प्रागा, भीखा पुत्र प्रागा, लाली पुत्री प्रागा, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा, तहसील व जिला– सिरोही, जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 95 अनुसार है। वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 95 खसरा संख्या 200 रकबा 5.6400 हेक्टेयर किस्म बंजर लगान 5.64 रुपये जमाबंदी अनुसार है। खसरा गिरदावरी की नकल संवत 2061 से 2064 के अनुसार उक्त भूमि में कोई काश्त नही की गई है व न ही कब्जा है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अप्रार्थी का संवत 2061–2064 तक उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा–काश्त नही रहा है। अप्रार्थीगण/आवंटिती द्वारा आवंटन नियमों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री ऋषि माथुर उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 3 से 9 की ओर से अधिवक्ता श्री उमाराम देवासी उपस्थित हुये तथा अप्रार्थी संख्या 11 से 15 की ओर से अधिवक्ता श्री धीमान खत्री उपस्थित हुये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 व 2, अप्रार्थी संख्या 3 से 9 तथा अप्रार्थी संख्या 11 से 15 की ओर से अलग अलग लिखित जवाब प्रस्तुत हुये।

(3) बहस सुनी गई। बहस के दौरान विद्वान पेरोकार सरकार ने प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पादरुखेडा के पुराना खसरा संख्या 109/38 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि का आवंटन गैर खातेदारी की तौर पर वना पुत्र रोमा, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा को, पुराना खसरा संख्या 107/38 रकबा 10.00 बीघा भूमि का आवंटन गैर खातेदारी के तौर पर तोला पुत्र रोमा, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा को एवं पुराना खसरा संख्या 108/38 रकबा 12.00 बीघा भूमि का आवंटन गैर खातेदारी के तौर पर प्रागा पुत्र रोमा, जाति–कलबी, निवासी– सियाकरा, तहसील व जिला– सिरोही को आवंटन हुये थे। उक्त आवंटित भूमि के वर्तमान खसरा संख्या 200 रकबा 5.6400 हेक्टेयर है। यह कि उक्त आवंटित भूमि पर आवंटिती/अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही रहा है एवं न ही वर्तमान में है। उक्त आवंटिती/अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन नियमों का उल्लंघन किया गया है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री माथुर ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के जवाब में अंकित तथ्यों एवं विधिक दृष्टान्त आर.आर.टी.2004(1) पृष्ठ 352–356 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खातेदारी कब्जे काश्त हक अधिकार की कृषि भूमि ग्राम पादरुखेडा, पटवार हल्का सनपुर के खसरा संख्या 200 रकबा 05.6400 हेक्टेयर में से 2.0800 हेक्टेर आई हुई है। उक्त कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या–1 (एक) का 26/141 वां खातेदारी हक हिस्सा और अप्रार्थी संख्या–2 का भी उक्त कृषि भूमि में 26/141 वां खातेदारी हक हिस्सा और कब्जा काश्त है। [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का हक

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:05:34 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही

अधिकार उनके पिता वना पुत्र रोमाजी कलबी के जरिये विगत 55 वर्षो से भी अधिका समय से लगातार बिना रुकावट के शांतिपूर्वक चला आ रहा है, ग्राम पादरुखेडा के मूल खसरा संख्या 38 एक बहुत बडे चक के रुप में राजकीय बिलानाम कृषि भूमि रही है जिसमें अलग अलग हिस्सों पर कई काश्तकारों के कई वर्षो पुराने कब्जे चले आ रहे है। उक्त कृषि भूमि के मूल खसरा संख्या 38 में से रकबा 2.0800 हेक्टेयर कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता वना पुत्र रोमा जी कलबी का कब्जा काश्त एवं हक अधिकार रहा है, जिससे वना पुत्र रोमाजी कलबी ने उक्त कृषि भूमि के आवंटन हेतु उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर एवं मौके का भौतिक सत्यापन करके उक्त 12 बीघा 18 बिस्वा (रकबा 2.0800 हेक्टेयर) भूमि का आवंटन आदेश दिनांक 18.4.1975 के द्वारा वना पुत्र रोमा जी कलबी, निवासी– सियाकरा को आवंटन किया गया था उसके बाद आवंटित भूमि का नामान्तरकरण संख्या 213 दिनांक 26.11.2001 के जरिये राजस्व रेकर्ड में स्वीकृत एवं दर्ज किया गया और राजस्व रेकर्ड में उक्त आवंटित कृषि भूमि के खसरा संख्या 109 / 39 वना पुत्र रोमा कलबी के नाम से अंकित किये गये। यह कि उक्त भूमि आवंटन के बाद आवंटिती वना पुत्र रोमा कलबी ने उक्त आवंटित कृषि भूमि को और अधिक उपजाउ बनाने के लिये दिन रात मेहनत की व भूमि सुधार में काफी रकम खर्च की है। उक्त आवंटित भूमि पर वना पुत्र रोमा कलबी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने आवंटन के बाद चारों और कांटो की बाड की है ताकि उक्त कृषि भूमि में आवारा पशु प्रवेश कर फसलों को नष्ट न कर सके। उक्त आवंटित भूमि पर बोर भी करवाया है और सोलर पेनल लगवाया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व उनके पिता वना पुत्र रोमा जी कलबी द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर हर वर्ष बरसाती फसल बोई जाती रही है, लेकिन विगत 5–6 वर्षो पूर्व अकाल होने ओर कोरोना जैसी महामारी के अत्यधिक प्रकोप फैलने के कारण उक्त भूमि पर बरसाती फसल की बुवाई नही की जा सकी है। यह कि प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही ने प्रार्थना पत्र में यह गलत कथन अंकित कये है कि ग्राम पादरुखेडा के पुराने खसरा संख्या 109 / 38 रकबा 6.45 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता वना पुत्र रोमा कलबी, निवासी– सियाकरा को किया गया हो, जबकि हकीकत यह है कि ग्राम पादरुखेडा के पुराना खसरा संख्या 109 / 38 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि का आवंटन गैर खातेदारी के तौर पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता वना पुत्र रोमाजी कलबी को किया गया था। यह कि वना पुत्र रोमा जी कलबी अपने जीवनकाल तक उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त रहे है और उनकी मृत्यु के बाद उक्त 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 काबिज काश्त हुए है। यह कि उक्त आवंटित भूमि पर आवंटन के समय से लगातार कब्जा–काश्त चला आ रहा है और आवंटित कृषि भूमि में हर वर्ष फसल बोई जाती है, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा संवत 2061–64 की खसरा गिरदावरी में काश्त का इन्द्राज नही करने में पटवारी द्वारा लापरवाही की गई है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा हर वर्ष काश्त की गई है। यह कि आवंटिती वना पुत्र रोमा जी कलबी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के सभी नियमों का पालन किया है एवं किसी भी नियम का उल्लंघन नही किया है। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के अनुसार आवंटन के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत व द्वितीय वर्ष में सम्पूर्ण कृषि भूमि पर फसल की बुवाई व जुताई की गई है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का उक्त आवंटित कृषि भूमि रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर पिछले 55 वर्ष से अधिक समय से लागातार कब्जा काश्त है उसके बाद भी उक्त आवंटित भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से खातेदारी में दर्ज नही की गई है, जबकि विधि अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ... कृषि भूमि के खातेदार कृषक बन

.....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:05:34 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

सत्यमेव जयते
सिरोही

चुके है एवं उसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। यह कि ग्राम पादरुखेडा के पुराने मूल खसरा संख्या 38 रकबा 2.0800 हेक्टेयर (12 बीघा 18 बिस्वा) कृषि भूमि का आवंटन, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता वना पुत्र रोमा जी कलबी को किया गया था जिससे नामान्तरकरण के बाद वनाजी के खातेदारी में खसरा संख्या 109/38 अंकित किये गये और भू प्रबन्ध के बाद पुराने खसरा संख्या 109/38 के नये खसरा संख्या 200 अंकित किये गये। इसी प्रकार से पुराने मूल खसरा संख्या 38 में से रकबा 1.9400 हेक्टेयर (12 बीघा) कृषि भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 11 से 15 के पिता प्रागा पुत्र रोमा कलबी को किया गया था जिससे नामान्तरकरण के बाद प्रागाजी के खातेदारी खसरा संख्या 107/38 अंकित किये गये और भू प्रबन्ध के बाद उक्त पुराने खसरा संख्या 107/38 के नये खसरा संख्या 276/200 अंकित किये गये। यह कि उक्त पुराने खसरा संख्या 109/38, 108/38 व 107/38 तीनों ही पुराने खसरा संख्या के भू प्रबन्ध के बाद नये खसरा संख्या क्रमशः 200, 277/200, 276/200 राजस्व रेकर्ड में अंकित किये गये और सेग्रीगेशन की कार्यवाही के दौरान इन तीनों ही खसरा संख्या 200, 277/200, 276/200 को मिलाकर एक नया खसरा संख्या 200 बनाया गया जिसका कुल रकबा 5.6400 हेक्टेयर हुआ और उक्त नये खसरा संख्या 200 की खातेदारी में अप्रार्थी संख्या 1 से 15 के नाम संयुक्त रुप से अंकित कर दिये गये है। यह कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अथवा उनके पिता वना पुत्र रोमा जी कलबी द्वारा आवंटन की शर्तो का पूर्ण रुप से पालन किया गया है व किसी भी आवंटन शर्त का उल्लंघन नही किया गया है। अप्रर्थी संख्या 1 व 2 स्वयं को उक्त कृषि भूमि के बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाना चाहते है एवं राजस्व अधिकारियों का यह कर्तव्य था कि निश्चित समयावधि गुजरने के बाद उक्त कृषि भूमि की श्रेणी गैर खातेदारी से खातेदारी में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता के नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अंकित करते, लेकिन राजस्व अधिकारियों ने ऐसा नही करके अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हितो के साथ कुठाराघात किया है। यह कि उक्त लम्बी समयावधि के बाद भी जब राजस्व अधिकारियों व कार्मिकों द्वारा राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का नाम बतौर खातेदार दर्ज नही किया गया तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने थक हारकर उक्त गैरखातेदारी को खातेदारी भूमि घोषित करवाने हेतु सहायक कलेक्टर न्यायालय, सिरोही में वाद वास्ते घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करने का मानस बनाया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि उक्त आवंटन नियमों के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र तब ही प्रस्तुत किया जा सकता है, जब भूमि का आवंटन कपटपूर्वक या दुर्व्यपदेशन के द्वारा करवाया गया हो अथवा आवंटन की शर्तो का पालन नही किया गया हो। यह कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 भूमिहीन कृषक है एवं अप्रार्थी के आजीविका का सहारा भी उक्त आवंटित कृषि भूमि ही है। उपखण्ड् अधिकारी, सिरोही द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता के भूमि आवंटन की पात्रता की जांच करवाकर आवंटन हेतु पात्र व भूमिहीन व्यक्ति होने से भूमि आवंटन एवं नियमन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता वना पुत्र रोमा कलबी को नियमानुसार आवंटन किया गया है। अप्रार्थी को उक्त भूमि का आवंटन हुये 10 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है एवं भूमि के आवंटन के 10 वर्षो बाद आवंटिती को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस के दौरान अप्रार्थी सख्या–3 से 9 के विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या 3 से 9 के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 4 के पूर्व रसमधिकारी तोला पुत्र रोमा जी का पुराने खसरा संख्या 107/38 रकबा 10 बीघा भूमि पर आवंटन ... से लेकर आज दिन तक तोला

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:05:34 IST
Reason: SelfAttested

पुत्र रोमा एवं उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान (अप्रार्थी संख्या 3 से 10) का निर्बाध रुप से प्रार्थी की जानकारी में स्वत्त कब्जा काश्त चला आ रहा है। यह कि संवत 2061 से 2064 की खसरा गिरदावरी में कोई काश्त नहीं होने का प्रार्थी का कथन गलत है, बल्कि हकीकत यह है कि खसरा गिरदावरी मौके पर जाकर पटवारी द्वारा तैयार नहीं कि जाकर पटवार भवन में बैठकर ही तैयार की जाती है। संवत 2001–2004 की समयावधि के दौरान भी अपार्थी संख्या 3 ता 10 का कब्जा रहा है। एवं आज भी अप्रार्थी संख्या 3 ता 10 का उक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। कब्जे के समर्थन में अप्रार्थी संख्या 3 से 10 की ओर से वादग्रस्त भूमि के फोटोग्राफ एवं अडौस पडौस के काश्तकारों के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है। यह कि पटवारी द्वारा पेश मौका फर्द दिनांक 18.1.2021 में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 3 से 10 का कब्जा पूर्ण रूप से नहीं रहा हो, जबकि इसी मौका फर्द में अप्रार्थी संख्या 3 से 10 का कब्जा होना पटवारी द्वारा अंकित किया गया है। आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) में आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त तभी किया जा सकता है, जब किसी पक्षकार द्वारा कपट, मिथ्या, या दुर्व्यदेशन द्वारा कोई भूमि अपने पक्ष में आवंटित करवाई हो। इस प्रकरण में प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश नहीं की है, जिससे यह साबित होता हो कि अप्रार्थी संख्या 3 से 10 या उनके पूर्व रसाधीकारी द्वारा कपट, मिथ्या, या दुर्व्यदेशन से कोई भूमि आवंटीत करवाई हो। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 से 10 का वादग्रस्त भूमि के मौके पर कब्जा पूर्णरुप से नही मानकर आंशिक भाग पर तो माना है। इससे यह साबित होता है कि उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 3 से 10 का कब्जा चला आ रहा है। यदि किसी पडौसी खातेदार द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 से 10 की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है तो अप्रार्थी संख्या 3 से 10 अलग से विधिक कार्यवाही द्वारा भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवायेंगे। यह कि वादग्रस्त भूमि पर आवंटनधारी से लेकर उनके वारिसान का आज दिन तक निर्बाध रुप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि पर एक टयूबवैल भी खुदा हुआ है। वर्षालु फसल के रुप में उक्त भूमि पर गवाहर, तिल, बाजरा की खेती की जाती रही है एवं सर्दी की फसल के रुप में रायडा की फसल बोई जाती रही है। अप्रार्थी संख्या 3 से 10 ने काफी रकम खर्च कर भूमि को उपजाउ बनाया है। अप्रार्थी संख्या 3 से 10 द्वारा प्रत्येक वर्ष काश्त की गई है, यदि किन्हीं वर्षो में बारिश की कमी की वजह से फसल नही हो सकी हो और इस कारण से खसरा गिरदावरी में फसल का इन्द्राज नही हुआ हो तो इस आधार पर आवंटन को निरस्त किया जाना किसी भी रुप में न्यायसंगत नही है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 11 से 15 के विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या 11 से 15 के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण का उक्त पुराना खसरा संख्या 108/38 रकबा 12.00 बीघा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त आज दिन तक चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण शुरु से आज दिन तक काश्त करते चले आ रहे है। वर्तमान में उक्त 12 बीघा भूमि बंजर नही है। उक्त आवंटित भूमि मौके पर अप्रार्थीगण के कब्जे–काश्त में है। संवत 2061 से 2064 तक अप्रार्थीगण ने उक्त आवंटित भूमि पर फसल बोई थी लेकिन संवत 2061–66 के समय में बरसात नही हुई थी। वर्ष 1995 से 2006 तक पूरे राजस्थान में बरसात नही हुई थी। जगह–जगह राजस्थान में अकाल व सूखा पडा था और यहीं नहीं सिरोही जिले में तो काफी लम्बे समय से पर्याप्त बरसात भी नहीं हुई। संवत् 2061 से 2064 तक बरसात नहीं होने से अप्रार्थीगण ने जो फसल बोयी थी उसके अंकूर भी नहीं निकले और उक्त आवंटित भूमि में न तो कोई कुआं खुदा हुआ है व न ही कोई ट्यूबवेल है। पटवारी हल्का सनपुर ने संवत 2061 से 2064 तक जो भी कार्यवाही मौके पर आकर की वह कार्यवाही [illegible] की अनुपस्थिति व जानकारी के

.....पेज छः पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:05:34 IST
Reason: SelfAttested

अभाव में की होगी। प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही ने 14–15 वर्ष व्यतीत होने के बाद आवंटन निरस्ती व बेदखली हेतु यह कार्यवाही की गयी है जो विधि विरूद्ध है। यह कि अप्रार्थी संख्या 11 से 15 के पूर्व रसाधिकारी को भूमिहीन व कब्जे काश्त कृषक मानकर ही राजस्व अधिकारीयो ने उक्त भूमि आवंटित की है एवं अप्रार्थी संख्या 11 से 15 भी भूमिहीन कृषक है जिनके पास उक्त आवंटित भूमि के अलावा अन्य कोई कृषि भूमि नही है। अप्रार्थीगण पर प्राकृतिक आपदाओं के लिये दोषारोपण नहीं किया जा सकता है और प्राकृतिक आपदाओं के दोषारोपण के जरिये आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) का उल्लघंन मानना व किया जाना सरासर विधि विरूद्ध होकर भूमिहिन कृषको के हितो के विपरित है। उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 11 से 15 का कब्जा काश्त उनके पूर्व रसाधिकारी के जरिये आज दिन तक लगातार चला आ रहा है और वर्तमान में भी ज्वार व बाजरी की फसल बोयी थी जिसकी जानकारी पटवारी हल्का, सनपुर को भलीभांति है। अप्रार्थी संख्या 11 से 15 या उनके पूर्व रसाधिकारी द्वारा उक्त आवंटन नियमों के किसी भी नियम का उल्लंघन नही किया गया है, बल्कि आवंटन की शर्तो का पालन करते हुए प्रतिवर्ष काश्त की जा रही है। मौके पर आज भी अप्रार्थी संख्या 11 से 15 का कब्जा–काश्त है। यदि बारिश की कमी के कारण फसल नही हो सकी है तो इस हेतु अप्रार्थी संख्या 11 से 15 को दोषी नही माना जा सकता है। कृषक हमेश बरसात की संभावना पूरी होने पर ही फसल को बोते है, अन्यथा गरीब कृषक को हजारों रुपये का आर्थिक नुकसान होता है, जिस नुकसान की पूर्ति आवंटन की शर्ते नही कर सकती है। इस पर्याप्त व युक्तियुक्त कारण से आवंटन को यथावत बहाल रखा जाना न्यायहित में उचित व आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही के आदेश दिनांक 18.4.1975 के द्वारा ग्राम पादरुखेडा के पुराना खसरा संख्या 109/38 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि का श्री वना पुत्र रोमा, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा को, पुराना खसरा संख्या 107/38 रकबा 10.00 बीघा भूमि का श्री तोला पुत्र रोमा, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा को एवं पुराना खसरा संख्या 108/38 रकबा 12.00 बीघा भूमि का श्री प्रागा पुत्र रोमा, जाति–कलबी, निवासी– सियाकरा को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। श्री वना पुत्र रोमा, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा को ग्राम पादरुखेडा, पटवार हल्का सनपुर के पुराना खसरा संख्या 109/38 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा आवंटित भूमि, नामान्तरकरण संख्या 213 दिनांक 26.11.2001 से श्री वना पुत्र रोमा, जाति–कलबी, निवासी– सियाकरा के नाम से राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज हुई। इसी तरह, श्री तोला पुत्र रोमा, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा को पुराना खसरा संख्या 107/38 रकबा 10.00 बीघा आवंटित भूमि, नामान्तरकरा संख्या 211 दिनांक 26.11.2001 से तोला पुत्र रोमा, जाति–कलबी, निवासी– सियाकरा के नाम से राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज हुई। इसी तरह, पुराने खसरा संख्या 108/38 रकबा 12 बीघा आवंटित भूमि नामान्तरकरण संख्या 212 दिनांक 26.11.2001 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में प्रागा पुत्र रोमा, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज हुई है। राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2071–74 जमाबन्दी 2075 के अनुसार उक्त आवंटित भूमि के वर्तमान खसरा संख्या 200 रकबा 5.6400 हेक्टेयर किस्म बंजर है, जो केउ पुत्री वना, दरजाराम पुत्र वना, कलाराम पुत्र तोला, केवदाराम पुत्र तोला, कोनाराम पुत्र तोला, नारायण पुत्र तोला, लगवादेवी पुत्री तोला, वेलाराम पुत्र तोला, हरनाथराम पुत्र तोला, होजीदेवी पुत्री तोला, जोजू पुत्री प्रागा, भगवान पुत्र प्रागा, [illegible] पुत्र प्रागा, [illegible] पुत्र प्रागा, लाली पुत्री प्रागा, जाति– कलबी, निवासी– सियाकरा के नाम [illegible] गैर खातेदार दर्ज है। पत्रावली

.....पेज सात पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:05:34 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
सिरोही

पर उपलब्ध पटवारी हल्का, सनपुर की मौका फर्द दिनांक 18.1.2021 के अनुसार आवंटित भूमि पर आवंटन वर्ष से संवत 2063 तक कोई काश्त नही की गई है। पटवारी हल्का, सनपुर की उक्त मौका फर्द दिनांक 18.1.2021 के अनुसार वर्तमान में सेग्रीगेशन जमाबन्दी में बट्टा नंबरों को एकीकरण किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत 2057 से 2064 तक की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आवंटित भूमि के मौके पर आवंटिती/अप्रार्थीगण का कब्जा—काश्त नही रहा है। प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से भी जवाब में अंकित कथनों के समर्थन में उक्त आवंटित भूमि पर आवंटिती/अप्रार्थीगण का कब्जा—काश्त होने के संबंध में खसरा गिरदावरी की नकलें प्रस्तुत नही की गई है, जिससे यह साबित हो सके कि उक्त आवंटित भूमि पर आवंटिती/अप्रार्थीगण का कब्जा—काश्त रहा हो। राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(3) के अनुसार आवंटिती को आवंटित कृषि भूमि पर आवंटन के प्रथम वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत भाग पर और शेष क्षेत्र पर दूसरे वर्ष में काश्त करनी आवश्यक है। चूंकि प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर आवंटिती/अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही रहा है एवं न ही कब्जा है तथा न ही अप्रार्थीगण ने इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जो इनका समर्थन करते है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि आवंटिती/अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र सारवान होने व साबित होने से स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि का आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी, अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन), नियम, 1970 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारवान होने एवं साबित होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम पादरुखेडा के पुराने खसरा संख्या 109/38 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि का, पुराना खसरा संख्या 107/38 रकबा 10.00 बीघा भूमि का एवं पुराने खसरा संख्या 108/38 रकबा 12.00 बीघा भूमि (जिसके वर्तमान खसरा संख्या 200 रकबा 5.6400 हेक्टेयर है) का क्रमशः श्री वना पुत्र रोमा, जाति— कलबी, निवासी— सियाकरा, श्री तोला पुत्र रोमा, जाति— कलबी, निवासी— सियाकरा एवं श्री प्रागा पुत्र रोमा, जाति—कलबी, निवासी— सियाकरा को किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27 सितम्बर, 2024 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय * सिरोही *

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:05:34 IST
Reason: SelfAttested